

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक:-03/ परि०आ०(प्रति.)-54/2020 175 /राँची
प्रेषित,

दिनांक 22.02.2021

श्री दिगंबर पांडा
पता-आ० श्री श्रीधर पथि, प्लाट सं-1109,
शिखर चंडी नगर, पो- KIIT, INFOCITY
भुबनेश्वर, ओडिशा
पिन-751024।

विषय : मार्ग भुबनेश्वर से सराइकेला पर आपके वाहन संख्या OD-05AL-6399 के पक्ष में ओडिशा परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट सं- 11G/2020 के झारखण्ड प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में।

प्रसंग: आपका आवेदन दिनांक- 23/12/2020।

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आवेदन वाहन संख्या OD-05AL-6399 का कर समायोजन करते हुए प्रतिहस्ताक्षर निर्गमन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

विदित हो कि आपके द्वारा समर्पित आवेदन के साथ SBI Collect के माध्यम से रु 14382/- का चालान जमा किया गया है, जबकि वाहन संख्या OD-05AL-6399 का बैटान क्षमता 42 एवं स्लीपर क्षमता 10 होने के कारण तिमाही कर रु 14625/- है। इसके अतिरिक्त spermit.jharkhand.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन कर जमा करने हेतु दिनांक 02/07/2020 को आपको SMS के माध्यम से सूचित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा ऑनलाइन कर भुगतान नहीं किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि ओडिशा परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट सं- 11G/2020 से आवृत वाहन सं- OD-05AL-6399 का spermit.jharkhand.gov.in पर कर भुगतान करते हुए शेष अद्यतन कर की राशि का SBI Collect के माध्यम से चालान जमा कर इसका प्रमाण सहित अद्यतन बीमा एवं दुरुस्ती प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय ताकि प्राप्त प्रतिहस्ताक्षर आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड